



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126999

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - **17538/2026**

रविश

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता:आनंद प्रकाश दुबे, प्रशांत कुमार दुबे

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता:शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय संजीव कुमार, न्यायमूर्ति

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद प्रकाश दुबे, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से थाना-भोपा, जिला-मुजफ्फरनगर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 69/2026, अंतर्गत धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2)का, 351(3) और 317(2) बी.एन.एस. में उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक न तो लेखपाल है और न ही पटवारी, और न ही वह कथित लेन-देन का हितभोगी है। यह भी तर्क दिया गया है कि वह नोटरीकृत समझौते का न तो निष्पादक है और न ही गवाह है। यह तर्क दिया गया है कि आवेदक के विरुद्ध आरोप यह है कि उसके उकसाने पर कथित ठेकानामा निष्पादित कराया गया था और उसे इस वादे पर 26,000/- रुपये दिए गए थे कि वह विवादित संपत्ति का नाम नामांतरण करा देगा।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि कथित तौर पर आवेदक के कब्जे से 1,00,000/- रुपये की बरामदगी दिखाई गई है, हालांकि, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि उक्त राशि सभी अभियुक्त व्यक्तियों से संयुक्त रूप से की गई बरामदगी के दौरान बरामद की गई थी। यह भी तर्क दिया गया है कि कथित बरामदगी फर्जी है, क्योंकि इसका कोई सार्वजनिक गवाह नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि सह-अभियुक्त, जिसका नाम दिलशाद है, उसे इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा प्रकीर्ण आपराधिक जमानत आवेदन संख्या 16430/2026 में पारित आदेश दिनांक 21.05.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत दी जा चुकी है। यह तर्क दिया गया है कि विवेचना समाप्त हो चुकी है और आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है। आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। आवेदक के आपराधिक इतिहास को पूरक शपथ-पत्र के पैराग्राफ संख्या 2 और 3 में स्पष्ट किया गया है। आवेदक 19.03.2026 से जेल में बंद है। इन परिस्थितियों में, आवेदक भी जमानत का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि आवेदक के विरुद्ध यह आरोप है कि उसने उक्त अपराध के संबंध में

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6,50,000/- रुपये की राशि प्राप्त की थी और उसके कब्जे से 1,00,000/- रुपये बरामद किए गए हैं।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करने, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की सामग्री के साथ-साथ अन्य सुसंगत दस्तावेजों का अवलोकन करने, और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, दंड की गंभीरता, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इस सुविचारित मत का हूँ कि आवेदक ने जमानत के लिए आधार बना लिया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
7. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदक-रविश को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के अधीन उतनी ही धनराशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो-दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा कर दिया जाए।
 - (i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा जो उस अपराध के समान हो जिसके लिए वह अभियुक्त है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।
 - (ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे, और न ही साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा।
 - (iii) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब न्यायालय में गवाह उपस्थित हों, तब वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने तथा विधि के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।
 - (iv) आवेदक नियत प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 229-ए (तदनुरूपी धारा 269 बीएनएस) के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।
 - (v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुरक्षित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार आईपीसी की धारा 174-ए (तदनुरूपी धारा 209 बीएनएस) के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू करेगा।
 - (vi) आवेदक (1) वाद को शुरू करने, (2) आरोप विरचित करने और (3) सीआरपीसी की धारा 313 (तदनुरूपी धारा 351 बीएनएसएस) के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना किसी पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने तथा उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।
8. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का एक आधार होगा।

(संजीव कुमार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



12 जून, 2026

शुभम

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"